

दिनांक 01/6/23 । पत्रावली राज्य सरकार व राजस्व मण्डल को प्राप्त जारी आदेशानुसार नियत तिथि से पूर्व तलब की गई। अंतर्गत पक्षकारों को नोटिस जारी दिने उक्त पत्रावली अभिभाषकताण को सूचित किया जाकर नियत तिथि को पूर्व दिनांक 5/6/23 को पेश करने का पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

दिनांक 05/6/23 कोर्ट कैम्प लाइवा
पक्षकारान उप./अनु./वकील पार्थी/अपार्थी उप.
अनु./पत्रावली कोर्ट कैम्प लाइवा में पेश हुई
पक्षकारान में समझाईश की गई। परन्तु राजीनामा
नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबन्धित न्यायालय में
नियमित कार्यवाही हेतु पुनः दिनांक 21/7/2023
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21.07.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 04.08.23 को पेश हो।

01/No- 40/2020 उनवान माध्यु प/स वीतर

04/8/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील वकील अनुपस्थित वाणिग
अनुपस्थित वकील वकील को रुक रुक कर शाम 6:00
PM तक तीन बार आवाजे लगवाई गई किन्तु वे
अनुपस्थित रहे अतः वकील का वकालत स्तर
असम हाजरी असम पैरवी में खारिज किया जाय
पत्रावली फौजल शुभ वीतर नम्बर 03



उपखण्ड अधिकारी
(अजामेर)